जिला पंचायत, सम्भल।

पत्रांक 18 /जि0पं0/ला0अनु0/2018–19 दिनांक 10 /04/2018

ठेकेदारी नवीनीकरण वर्ष 2018–19

जिला पंचायत, सम्भल के समस्त ठेकेदरों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, सम्भल में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दिए गए प्राविधानों एवं जिला पंचायत, सम्भल में प्रचलित ठेकेदारी उपविधि के अनुसार **वित्तीय वर्ष 2018–19** (दिनांक 01.04.18 से दिनांक 31.03.19 तक) के लिए ठेकेदारों के नवीनीकरण हेतु दिनांक 24.04.2018 तक प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक से आमंत्रित किए जाते हैं। ठेकेदारों के नवीनीकरण हेतु निम्न विवरण के अनुसार राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति की सूचना http://sambhal.nic.in पर देखी जा सकती है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। पंजीकरण नवीनीकरण मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।

1– आर्थिक क्षमता **(हैसियत प्रमाण पत्र)** एवं पूर्व प्रचलित संतोषजनक गतिविधियों सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं **चरित्र प्रमाण पत्र** जनपद के जिला मजिस्ट्रेट से शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी, जो निर्धारित अवधि के अन्दर का हो।

2– पात्रता/माफिया गतिविधियों के सम्बन्ध में जारी किए गए शासनादेश के क्रम में नवीनीकरण हेतु अंकन ₹ 100/– के स्टाम्प पर शपथ पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण हेतु यदि यह प्रकाश में आता है कि ठेकेदार अपात्र है तो उसका नवीनीकरण जिला पंचायत में स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

3– आयकर एवं जी0एस0टी0 में पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– किसी भी प्रार्थना पत्र का यदि सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त नही होगा तो प्राप्त आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

5– जिला पंचायत, सम्भल के किसी अधिकारी/कर्मचारी एवं अध्यक्ष/सदस्य जिला पंचायत, सम्भल से किसी प्रकार की रिश्तेदारी न होने का **शपथ पत्र** संलग्न करना होगा।

6– नवीनकरण की अवधि चरित्र प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र में जो पहले समाप्त हो रही हो उस तिथि तक वैध होगी।

अभियन्ता
जिला पंचायत,सम्भल

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,सम्भल।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–

1– विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला/शाह टाइम्स/अमर भारती" बहजोई को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने समाचार–पत्र में एक बार न्यूनतम स्थान एवं बारीक (06 फान्ट में) अक्षरों में प्रकाशित कराकर बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सम्भल उक्त विज्ञप्ति जनपद की बेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

3– नाजिर, जिला पंचायत, सम्भल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

4– जिलाधिकारी महोदय, सम्भल की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

5– मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचयत, सम्भल की सेवा में सूचनार्थ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,सम्भल